राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या – 345/2016/उदयपुर.
2.अपील संख्या – 346/2016/उदयपुर
3.अपील संख्या – 347/2016/उदयपुर
4.अपील संख्या – 348/2016/उदयपुर

सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'सी', उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अग्रवाल आयरन एण्ड बिल्डर्स,
उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल मानवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 02.06.2017

निर्णय

1. ये चारों अपीलें राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अंपील संख्या 44, 45, 46 व 47/वैट/15–16/उदयपुर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 27.10.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 व 2014–15 के लिये प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों में क्रमशः रूपये 13,13,603/–, रू. 8,89,220/–, रू. 6,21,748/– एवं रू. 3,15,933/– का ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त होना दर्शाया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.12.2014 में उक्त ट्रेड डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर निम्न तालिका के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं कर की दुगुनी शास्तियॉ आरोपित की है। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2015 से स्वीकार की जाकर निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज व शास्तियों अपास्त किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये चारों अपीलें पेश की गई हैं:–

अ.सं.	कर नि.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग
345/16	2011–12	183904	69884	367808	621596
346/16	2012–13	124491	32368	248982	405841
347/16	2013–14	87045	12186	174090	273321
348/16	2014–15	44431	1327	88462	134220

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बताया कि कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और एमनेस्टी स्कीम के तहत दिये गये लाभ को लेते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज राशि जमा करा दी गई, इसलिए प्रकरणों में अब कोई राशि बकाया नहीं होने से अपीले सारहीन हो गयी हैं। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 18.04.2017 को जारी AS-II प्रस्तुत किया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी AS-II दिनांक 18.04.2017 का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बतायी गई राशि जमा करा दी गई है,जिसके समर्थन में उप राजकीय ,अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी AS-II दिनांक 18.04.2017 प्रस्तुत किया गया। उप राजकीय अभिभाषक के इस कथन को कि एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेते हुए प्रकरणों में विवादित राशि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जमा करा दी गई है, इसलिए अब कोई राशि शेष नही है, को स्वीकार करते हुए अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य